कार्यालय जिला परिषद, पलामू।

आम–सूचना

दिनांक 31.08.2017 को सम्पन्न जिला परिषद, पलामू की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जिला परिषद के द्वारा विभिन्न प्रखण्डो में जिला परिषद की भूमि पर नवनिर्मित दुकानो का आवंटन किया जाना है।

जिला परिषद, पलामू की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में पलामू जिले के प्रमुख एवं लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से आम सूचना प्रकाशित कर इच्छुक व्यक्तियो से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है जो निम्न प्रकार है–

1.आवेदन पत्र बिक्री की तिथि	--	18.10.2017 से 25.10.2017
2.आवेदन पत्र बिक्री का स्थान	–	संबंधित अनुमण्डल कार्यालय।
3.आवेदन पत्र का शुल्क	–	मो0 500.00 (पांच सौ) रूपये।
4.आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	–	18.10.2017 से 31.10.2017 तक।
5.आवेदन पत्र जमा करने का स्थान	–	कार्यालय जिला परिषद, पलामू।

दुकान के आवंटन में निम्नलिखित शर्ते निर्धारित है:--

1. दुकान का आवंटन Computer Randomization (यादृच्छिकीकरण) के द्वारा की जायेगी, जिसे सभी आवेदको को स्वीकार करना होगा।
2. Computer Randomization (यादृच्छिकीकरण) के पश्चात दुकान आवंटियो की सूची जारी की जायेगी जिसके एक पक्ष (15 दिन) के अन्दर अग्रिम जमानत की राशि मो0 25000.00 (पचीस हजार) रूपये बैंक ड्राफ्ट जो **सचिव जिला परिषद, पलामू के पदनाम से भुगतेय हो**, जमा करना होगा। अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
3. आवंटित दुकान के लाभुको को एकरारनामा के शर्तो के स्वीकार्यता हेतु मो0 50.00 रूपये का दो अदद (कुल 100.00 रूपये) नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एकरारनामा हेतु उपलब्ध कराना होगा।
4. दुकान के आवंटन का एकरारनामा जिला निबंधन कार्यालय, पलामू के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। इस हेतु आवंटी को निर्धारित निबंधन शुल्क का भुगतान करना होगा।
5. आवंटित लाभुको को जिस भूमि पर दुकान/भवन उपलब्ध कराया जायेगा उस पर आवंटियो को कोई स्वत्व (टाईटल) का अधिकार प्राप्त नही होगा। सर्वदा के लिए वह भूमि एवं दुकान जिला परिषद पलामू की रहेगी।
6. अन्तिम रूप से चयनित आवंटियो को जमानत की राशि किसी भी अन्य कारणों से वापस नही की जायेगी।

7. आवंटियों/लाभुको के बीच आवंटन संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में विवादित मामले का समाधान जिला परिषद के द्वारा किया जायेगा।

8. आवेदको का यह उत्तरदायित्व होगा कि विहित आवेदन पत्र प्राप्त करने एंव अन्तिम रूप से आवेदन जमा करने संबंधित विस्तृत सूचना जिला परिषद के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

9. आवेदको से दुकानो के आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन दिनांक 31.10.2017 के अपराह्न 5:00 बजे तक जिला परिषद कार्यालय में जमा की जा सकेगी। इसके उपरान्त किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार्य नही होगा।

10. आवेदन पत्र समर्पित करते समय यह स्व–अभिप्रमाणित शपथ पत्र देना होगा कि पूर्व में आवेदक को अथवा उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को जिला परिषद पलामू के द्वारा दुकान आवंटित नही किया गया है। एक परिवार के एक ही सदस्य को दुकान आवंटित किया जायेगा। पूर्व से दुकान आवंटित दुकानदारों अथवा उनके परिवार को दुकान आवंटित नही किया जायेगा।

11. संबंधित प्रखण्ड के निवासी को उसी प्रखण्ड में ही दुकान आवंटित किया जायेगा।

12. आवेदको को कार्यालय द्वारा प्राप्त विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजो की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगाः–

क. मतदाता पहचान पत्र।
ख. आधार कार्ड।
ग. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
घ. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
ड. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
च. कण्डिका 10 में वर्णित स्वअभिप्रमाणित शपथ–पत्र।
छ. दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)।

13. दुकानो के आवंटन में सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम का पालन किया जायेगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदको को संबंधित प्रमाण–पत्र यथा जाति प्रमाणपत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र/सखी मण्डल समूह के रूप में होने का प्रमाण पत्र इत्यादि आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।

14. दुकान आवंटन से संबंधित विधिक मामले का निपटारा व्यवहार न्यायालय, पलामू में किया जायेगा।

15. इस आम सूचना में संशोधन/निरस्तीकरण का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

16. विशेष परिस्थिति में दुकानो की संख्या घट–बढ सकती है।

पलामू जिला परिषद के द्वारा विभिन्न प्रखण्डो में नवनिर्मित दुकानो के आवंटन हेतु प्रखण्डवार विवरणी।

क	प्रखण्ड का नाम	कुल दुकान की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4
1.	लेस्लीगंज	07	
2.	विश्रामपुर	18	
3.	पांकी	15	
4.	हरिहरगंज	10	
5.	मनातु	46	
6.	नावा बाजार	31	
7.	मोहम्मदगंज	27	
8.	हुसैनाबाद	21	
9.	सतबरवा	15	

ह0/–
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, पलामू।

ज्ञापांक– 1261 जि0प0/दिनांक 5-10-2017

प्रतिलिपि– निदेशक, सूचना एंव जनसर्म्पक विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना को स्थानीय लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में लगातार दो दिनो तक प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एंव जनसर्म्पक पदाधिकारी, को सूचनार्थ एंव पलामू जिले के स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में लगातार दो दिनो तक प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एंव विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एंव NIC पलामू के Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी पलामू जिला को सूचनार्थ एंव अनुमण्डल कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश है कि आवेदन पत्र को बिकी के पूर्ण अवधि में जिला परिषद कार्यालय के कर्मीयों को आवश्यक सुविधा एंव सुरक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि– संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, को सूचनार्थ एंव प्रखण्ड कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

05.10.17

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, पलामू।